

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इसमें  
जारी हुए

08/09/2022

पत्रावली पेश हुई P.O. सादर का  
समाविष्ट होने से  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक  
08/09/2022 को पेश की जाये।  
P.O.  
[Signature]

08/09/22

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उमय पक्षा उपस्थित  
वकील अर्थात् के बहस करने हेतु कक्ष पर्याप्त  
जिस पर वकील अर्थात् के सहमति व्यक्त की।  
वकील अर्थात् के बहस हेतु कक्षर प्रिया  
जारी है। पत्रावली गस्त बहस प्रारंभ (09/09)  
9 दिनांक 30-09-2022 को पेश है।

S.D.O.

30/09/2022

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उमय पक्षा  
उपस्थित। उमय पक्षा के बहस की। उमय पक्षा  
की बहस सुनी गयी। वकील अर्थात् के विवेक  
प्रिया कि अर्थात् की अपील क्र. 05/2018 दिनांक  
19/03/2019 को अदम हाजरी अदम परकी में  
न्यायालय द्वारा रगरीज फरमा दी गयी थी किन्तु  
न्यायालय पेशी दिनांक में अधिवक्ता प्रिया  
कम्य न्यायालय में व्यस्त होने से तथा अर्थात्  
अपीलट कर वास्तव्य ठीक नहीं होने से न्यायालय  
में उपस्थित नहीं हो सके। उक्त कारण क्षम्य  
योग्य है। अर्थात् का प्रारंभ (09/09) 9 अपीलट  
नहीं होने की स्थिति में ऐसी अपूर्णता शत होती  
जिसकी प्रति खिली की कर्ष में संलग्न नहीं है  
विपक्ष से वकील अर्थात् अर्थात् अर्थात्

Bronahar  
[Signature]

प्रस्तुत जवाब स्पष्ट नहीं है और न ही supplementary  
 document को कानिबंद किया तथा late  
 होने का उल्लेख स्पष्ट नहीं है कल. प्राप्ति-का  
 का रबीज करे कानिबंद किया। कमील उभय  
 पक्ष की वृत्त परमन किया। कमील प्राप्ति की  
 कल के वरान प्रस्तुत फीला से हम सतुष्ट है  
 प्राप्ति का प्राप्ति रबीज भोग्य पाभा जाता है अतः  
 प्राप्ति का प्राप्ति रबीज कर 05/2018 के  
 दिनांक 19/03/2019 के पुनः नम्बर पर लेने के  
 कल पर पारित किए जाते हैं पत्रावली सं. 05/18  
 के पुनः नम्बर पर लेने हेतु पत्रावली तब की जाकर  
 दिनांक 18/10/2022 को पेश है। पत्रावली की स्तर  
 पर रबीज लेने से मूल पत्रावली के नम्बर  
 फेसल शुमार ठीकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
 रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)